रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052026-272743
CG-DL-E-20052026-272743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948
No. 329]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.142.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) के विनियम 35 में. उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु परिसमापक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(2006 का 27) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किसी कारपोरेट ऋणी की बाबत कारपोरेट ऋणी के प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त करेगा जब तक कि

परिसमापक, परामर्श समिति से परामर्श के पश्चात्, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति करने का विनिश्चय नहीं करती ।"

3. मूल विनियमों के विनियम 35 के उप-विनियम (2) के परन्तुक में, "परन्तु" शब्द के पश्चात्, "यह और कि" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./97/2026-27]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./ आर.ई.जी. 005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 136, तारीख 25 फरवरी, 2026 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी. एन./ आर.ई.जी.136, तारीख 25 फरवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2026

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Third Amendment) Regulations, 2026

F. No. IBBI/2026-27/GN/REG142.—In exercise of the powers conferred by section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Third Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 35, after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that, in respect of a corporate debtor classified as a micro, small or medium enterprise under sub-section (1) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the liquidator shall appoint one registered valuer for each asset class of the corporate debtor, unless the liquidator after consultation with the consultation committee decides, for reasons to be recorded in writing, to appoint two registered valuers."

3. In the principal regulations, in regulation 35, in proviso to sub-regulation (2), after the word "Provided", the word "further" shall be inserted."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./97/2026-27]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG005, dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* No. 460 on 15th December, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2026 published vide notification No. IBBI/2025-26/GN/REG136, dated the 25th February, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.136 on 25th February, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA